राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3432/2024

राकेश धनकड़ **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
3. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, सर्किल जी, डिवीजन तृतीय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.11.2024

आदेश की दिनांक : 02.01.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप गर्सा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट मुख्यालय, जयपुर हाल ही निलंबित कार्मिक है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आलोच्य

आदेश दिनांक 19.11.2024 के द्वारा निलंबित किया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कर सहायक के पद पर दिनांक 24.06.2011 को हुई थी और उसे आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा कार्यव्यवस्थार्थ आधार पर कार्यालय सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट मुख्यालय, जयपुर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी की सेवायें हमेशा संतोषजनक रही हैं, परंतु हाल ही अपीलार्थी के विरूद्ध मृत्युजंय साहू द्वारा निराधार ऑनलाईन शिकायत रूपये 3000 मांगने की, की गई और जिसके कारण निराधार शिकायत के आधार पर अपीलार्थी को निलंबित किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 19.11.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को निलंबन से बहाल करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह बहस की है कि अपीलार्थी के विरूद्ध जारी किया गया निलंबन आदेश दिनांक 19.11.2024 सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्णतः नियमानुसार जारी किया गया है और अपीलार्थी द्वारा जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में रिश्वत राशि की मांग करने के आरोप हैं और उक्त आरोप के आधार पर अपीलार्थी को नियमानुसार प्रदत्त शक्तियों के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन की कार्यवाही दाण्डिक कार्यवाही की श्रेणी में नहीं आती है। अपीलार्थी अगर इस कार्यवाही से व्यथित है तो वह सीसीए नियम 22 के तहत विभाग के उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट मुख्यालय, जयपुर हाल ही निलंबित कार्मिक है। अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 19.11.2024 के द्वारा निलंबित किया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कर सहायक के पद पर दिनांक 24.06.2011 को हुई थी और उसे आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा कार्यव्यवस्थार्थ आधार पर कार्यालय सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट मुख्यालय, जयपुर पदस्थापित किया गया। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 19.11.2024 के द्वारा निलंबित किये जाने का प्रश्न है,

हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि यदि अपीलार्थी उक्त आलोच्य आदेश से व्यथित है तो उसे सीसीए नियम 22 के अंतर्गत प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिये। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 22.03.2023, जिसमें लोक सेवकों के अपराधिक प्रकरणों में निलंबन एवं निलंबन से बहाली के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी तथ्यों, अभिलेखों व अभिवचनों के विवेचन के आधार पर एवं राज्य सरकार के परिपत्रों एवं नियमों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी अपने मामले के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम स्तर पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के मामले में गंभीर विचार कर नियमानुसार उचित निर्णय लें और अपीलार्थी को सूचित करें।

अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष